

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-
कार्मिकों का विवरण:-

S.N.	NAME AND POST	POSTING PLACE	DOB	JOURNEY PLACE AND PERIOD
1	NILOFER KHAN Teacher Level-1	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHO NAGORIYAN JAIPUR	28-01-1981	Mecca DATE 06/06/2023 TO 17/07/2023 (42 DAYS)
2	GURMEET KAUR BEDI Teacher Level-2 Social Studies	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL 22 PS GANGANAGAR	01-08-1964	FILDERSTADT DATE 04/09/2023 TO 05/10/2023 (32 DAYS)
3	RAHAT NAQVI Senior Teacher Urdu	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GHATGATE AGARA ROAD JAIPUR	03-06-1968	DHAKA, BANGLADESH DATE 23/07/2023 TO 12/08/2023 (21 DAYS)
4	RITU RANI SHARMA Senior Teacher Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL TIBA SHYOPUR JAIPUR	14-11-1965	AUSTRALIA, MELBOURNE DATE 10/09/2023 TO 18/11/2023 (70 DAYS)
5	PRITHVEERAJ Senior Teacher Social Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SOOTHLI NAGAU	05-07-1993	PENANG MALAYSIA DATE 07/09/2023 TO 14/09/2023 (08 DAYS)
6	PARMESHWARI Senior Teacher Social Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KOLIDA SIKAR	04-01-1965	NEW YORK USA DATE 02/09/2023 TO 27/11/2023 (87 DAYS)

शर्त :-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2023/पार्ट-1/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जयपुर, बीकानेर, अजमेर, चूरु संभाग।

2- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, जयपुर, श्रीगंगानगर, नागौर, सीकर।

3- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

4- संबंधित संस्थाप्रधान को भेजकर लेख है कि शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो इसकी विधालय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करें।

5- संबंधित कार्मिक।

6- रक्षित पत्रावली।

दिनांक:

7 JUL 2023

Signature valid

Digitally signed by संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
Kumar Joshi
Designation: Joint Director
Date: 2023.07.17 15:22:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4294097

